फा.सं.-18-14/2022-डीडीIII/एनएफ

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

दिनांक: 9 जून 2022

विषय:- दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की सी एंड एजी पैनलबद्ध फर्म की नियुक्ति के संबंध में।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 86 के अनुसार दिनांक 10.01.2016 को पूर्व के दिव्यांगजन राष्ट्रीय निधि और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए न्यास निधि को शामिल करते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि का गठन किया गया।

केंद्र सरकार ने दिनांक 15.01.2017 को अधिसूचित दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 41 के तहत राष्ट्रीय निधि के प्रबंधन और उपयोग हेतु तंत्र निर्धारित किया। उक्त नियमावली के नियम 41 के तहत, केंद्र सरकार ने सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में शासी निकाय का गठन किया जो निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। उक्त नियमावली के नियम 42 के अनुसार इस निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, नामत: -

- क. ऐसे क्षेत्रों में वित्तीय सहायता, जिन्हें विशेष रूप से केंद्र सरकार की किसी योजना और कार्यक्रम के अंतर्गत कवर नहीं किया गया अथवा केंद्र सरकार की किसी योजना या कार्यक्रम के तहत पर्याप्त रूप से वित्त पोषित नहीं हैं;
- ख. अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु;
- ग. निधि के प्रशासनिक और अन्य व्यय के लिए, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत खर्च किया जाना अपेक्षित हो सकता है; और
- घ. इस तरह के अन्य उद्देश्यों के लिए, जिन्हें शासी निकाय द्वारा निर्धारित किया जाए ।

अभी तक, राष्ट्रीय निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता निम्नलिखित के लिए प्रदान की जा सकती है: -

- क. दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, हस्तशिल्प आदि को शामिल करते हुए उनके उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनियों/कार्यशालाओं के आयोजन हेतु सहायता;
- ख. बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता हेतु, जिन्होंने राज्य स्तर पर खेल या ललित कला/संगीत/नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है ताकि वे राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग ले सकें; और
- ग. राज्य मूल्यांकन बोर्ड द्वारा केस-टू-केस आधार पर सिफारिश किए गए अनुसार उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की सहायता हेतु।

प्रावधान के अनुसार, प्रति वर्ष अर्जित समस्त ब्याज दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए निधि के तहत उपयोग हेतु उपलब्ध एकमात्र राशि है जिसका उपयोग ऐसी गतिविधियों के लिए किया जाता है जो विभाग की किसी अन्य योजना के तहत शामिल नहीं हैं।

राष्ट्रीय निधि वर्ष 2022-23 के लिए ऑडिट और लेखा संबंधी कार्य के लिए भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय द्वारा पैनलबद्ध एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को नियुक्त करना चाहता है, जिसे कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने पर और निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है। कार्य का दायरा और पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं: -

क. सीए फर्म के लिए कार्य का दायरा

I. आयकर अधिनियम 1961 के अनुकूल और इसकी आवश्यकताओं के अनुरूप दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु पूर्व की न्यास निधि और दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय निधि को शामिल करते हुए राष्ट्रीय निधि के खातों को तैयार करना।
II. राष्ट्रीय निधि की वार्षिक लेखा, आय और व्यय विवरण, तुलन पत्र और वित्तीय विवरण तैयार करना।
III. समय-समय पर यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वार्षिक आईटीआर के साथ-साथ तिमाही टीडीएस और अन्य रिटर्न तैयार करना और दर्ज करना।
IV. संवीक्षा मामले और सीआईटी अपील, उपयुक्त आईटी प्राधिकारी के समक्ष फोटो-अप/उपस्थित होना, धारा 197 के तहत कर की गैर-कटौती हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करना आदि और आयकर से संबंधित मामले जिनमें पूर्व की न्यास निधि और पुरानी राष्ट्रीय निधि के मामले शामिल हैं।
V. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत राष्ट्रीय निधि को नियमित रूप से ऑडिट करना।
VI. कोई अन्य प्रासंगिक और/अथवा परिणामी मामले जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, जिसमें कर के मूल्यांकन के लिए आयकर/लेखों से संबंधित मामले शामिल हैं।

ख. पात्रता मानदंड और तकनीकी योग्यता

दो बोली प्रणाली (दो अलग-अलग लिफाफों में तकनीकी और वित्तीय बोली अलग-अलग) के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के संबंध में उपर्युक्त कार्य के (असाइनमेंट) के लिए सी एंड एजी पैनल में शामिल सीए फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है: -

1. सीए फर्मों के लिए आवेदन करने की पात्रता:
   - क. फर्म में न्यूनतम 3 भागीदार;
   - ख. फर्म के अस्तित्व के कम से कम 5 वर्ष;
   - ग. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य प्रबंधन और 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले सरकारी संगठनों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/ पीएसयू को आयकर, जीएसटी, वैट जैसे मुद्दों पर परामर्श प्रदान करने में फर्म का अनुभव।

घ. फर्म या उसके भागीदारों को किसी भी कर कानून के उल्लंघन के लिए किसी भी कर प्राधिकरण द्वारा किसी भी जांच या पूछताछ का सामना नहीं किया जा रहा हो।

2. अनुभव के संबंध में, टर्नओवर के संबंध में संबंधित क्लाइंट द्वारा एक अधिदेश पत्र या अनुबंध आवेदक के अलावा सीए फर्म से एक प्रमाण पत्र को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:-
   क. फर्म का साझेदारी दस्तावेज / एमओए
   ख. फर्म के पंजीकरण की तिथि
   ग. कार्य आदेशों/स्वीकृति आदेशों की प्रति
   घ. सी एंड एजी के साथ पैनल में शामिल होने का प्रमाण
   ङ. तकनीकी प्रस्ताव अनुलग्नक के अनुसार प्रस्तुत करे।

ग. मूल्यांकन मानदंड

तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा :-

क्र.सं.	**मानदंड**	**अधिकतम अंक**	**अंकन योजना**
1.	फर्म में भागीदारों की संख्या	15	3 भागीदारों के लिए न्यूनतम 5 अंक प्रत्येक अतिरिक्त भागीदार के लिए 1 अंक अधिकतम अंक 15 तक
2.	अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में फर्म का अस्तित्व।	15	5 वर्षों के लिए न्यूनतम 5 अंक प्रत्येक अतिरिक्त पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक अधिकतम अंक15 तक
4.	स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य प्रबंधन और 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले सरकारी संगठनों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/पीएसयू को आयकर, जीएसटी, वैट जैसे मुद्दों पर कंसल्टेंसी प्रदान करने में फर्म का अनुभव।	20	ऐसे 3 पीएसयू / स्वायत्त निकायों / सरकारी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों / पीएसयू के लिए न्यूनतम 10 अंक जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त पीएसयू / स्वायत्त निकाय / सरकारी संगठन / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए 1 अंक अधिकतम अंक 20 तक
	कुल :	**50**	

घ. वित्तीय बोली खोलने के लिए मानदंड

वे बोलीदाता जिनके पास 70% का न्यूनतम स्कोर है अर्थात् 50 में से 35 अंक हैं, वे अपनी वित्तीय बोली खोलने के लिए योग्य होंगे।

ङ. वित्तीय बोली का प्रारूप

बोलीदाता उपरोक्त कार्य (असाइनमेंट) और कार्यक्षेत्र के लिए करों को छोड़कर पूरे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एकमुश्त वार्षिक कीमत (क्वोट) प्रस्तुत करेंगे।

च. चयन के लिए योग्यता

सबसे कम वित्तीय बोली के साथ एक तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता चयन के लिए योग्य होगा।

छ. भुगतान योजना

सीए फर्म को भुगतान त्रैमासिक किस्तों (प्रत्येक तिमाही के बाद) में जारी किया जाएगा, बशर्ते कि सभी प्रकार के मामलों में कार्य (असाइनमेंट) का संतोषजनक समापन हो।

ज. गैर-प्रदर्शन के लिए दंड

उपरोक्त के रूप में दायित्व की पूर्ति न होने की स्थिति में, राष्ट्रीय निधि के सक्षम प्राधिकारी, डीईपीडब्ल्यूडी अपने पूर्ण विवेक से इस तरह का जुर्माना लगा सकते हैं जो होने वाली हानि से अधिक नहीं है या जैसा कि वह उपयुक्त समझे ।

यदि सीए फर्म काम पूरा नहीं करती है या बीच में छोड़ देती है, तो राष्ट्रीय निधि, डीईपीडब्ल्यूडी को किसी अन्य एजेंसी से असाइनमेंट पूरा करने का अधिकार होगा और ऐसी राशि सीए फर्म से वसूल की जाएगी।

इच्छुक सीए फर्म जो सी एंड एजी के साथ पैनलबद्ध हैं और ऊपर वर्णित पात्रता और तकनीकी योग्यता को पूरा करते हैं, वे अपनी तकनीकी और वित्तीय बोली 30 दिनों के भीतर अर्थात् 12 जुलाई 2022 तक अलग-अलग लिफाफे में जमा कर सकती हैं।

प्रस्ताव के दोनों भागों को अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत किया करना, जिसमें स्पष्ट रूप से कवर पर भाग- I (तकनीकी बोली) और भाग- II (वित्तीय बोली) को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। श्री डी.के. पंडा, अवर सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को संबोधित प्रस्ताव के दोनों भागों को सीआर सेक्शन (भूतल), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली - 110003, में रखे हुए टेंडर बॉक्स में 12 जुलाई 2022 को अथवा पहले 12 जुलाई 2022 को शाम 04:00 बजे तक जमा करा दे। प्रस्ताव का भाग 1 उसी दिन शाम 04:30 बजे इच्छुक बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा।

<u>अनुबंध</u>

प्रस्ताव के भाग-I में शामिल किए जाने वाले विवरण (तकनीकी बोली)

1. फर्म का नाम और पता टेलीफोन नंबर और फैक्स/ई-मेल सहित ।
2. i) एसीए/एफसीए के रूप में नामांकन के वर्ष के साथ सभी भागीदारों के नाम और सदस्यता संख्या।
   ii) अन्य पेशेवरों का नाम और सदस्यता संख्या जिन्हें फर्म द्वारा नियोजित किया गया है।
   iii) मालिक/साझेदारों का नाम जो इस अनुबंध के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से उपलब्ध होंगे।
   iv) अन्य व्यक्तियों की संख्या जो इस अनुबंध के प्रबंधन के लिए मालिक / भागीदारों की सहायता के लिए विशेष रूप से फर्म द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए|
   v) उस व्यक्ति का नाम जो इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
3. फर्म का पैन नं.
4. फर्म का जीएसटी नं.
5. फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
6. पार्टनरशिप दस्तावेज की प्रति ।
7. सी एंड ए जी के साथ पैनल में शामिल होने का प्रमाण
8. उनके अनुभव और योग्यता के साथ फर्म की विस्तृत स्टाफ संख्या:-
   i. भागीदार/मालिक/निदेशक
   ii. वेतनभोगी कर्मचारी
9. संबंधित क्षेत्र अर्थात् आयकर, जीएसटी, वैट (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाना है) में फर्म के अस्तित्व और अनुभव का विवरण :
   (i) निर्माण गतिविधियों में लगे कॉर्पोरेट क्लाइंट के संबंध में।
   (ii) केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकायों के संबंध में।
10. इसके अलावा, योग्यता मानदंड (पंक्ति 1 से 4) के अनुसार सभी विवरण दस्तावेजी प्रमाण के साथ उपलब्ध किए जाने चाहिए।
11. सभी कागजात/दस्तावेज पृष्ठ क्रमांकित होने चाहिए।
12. दस्तावेज़ उसी तरीके से प्रस्तुत किये जाएँ जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है ।